न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2019 (अपील नामा)
RCMS No. 2019/00002

अनवान

1. श्री नवला पिता रोडा मीणा पूर्व सरपंच, निवासी वीरपुरा घाटा तलाई, तहसील सराडा जिला उदयपुर।
2. श्री मावालाल पिता देवा मीणा, निवासी वीरपुरा हिम्मती तलाई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर।
3. श्री नवला पिता पूना मीणा, निवासी वीरपुरा हिम्मती तलाई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर।
4. श्री पून्जा पिता गोवना मीणा, निवासी वीरपुरा, हिम्मती तलाई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर
5. श्री गोकला पिता लिम्बा मीणा, निवासी वीरपुरा, हिम्मती तलाई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर
6. श्री कालू पिता वगता मीणा, निवासी वीरपुरा, हिम्मती तलाई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर।
7. श्री बदा पिता देवा मीणा, निवासी वीरपुरा, हिम्मतपुरा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर।
8. श्री केवा पिता रूपा मीणा, निवासी वीरपुरा, मजरा घाटा, हिम्मती तलाई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर
9. श्री उदा पिता भेरा मीणा, निवासी वीरपुरा हिम्मती तलाई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर।
10. श्री हुरजी पिता रता मीणा, निवासी वीरपुरा, हिम्मती तलाई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर।
11. श्री रूपा पिता वेला मीणा, निवासी वीरपुरा, हिम्मती तलाई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर।
12. श्री वीरजी पिता नानजी मीणा, निवासी वीरपुरा, मजरा घाटा तलाई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर
13. श्री कालू पिता भेरा मीणा, निवासी वीरपुरा, मजरा घाटा तलाई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर।
14. श्री कूरा पिता कालू मीणा, निवासी वीरपुरा, मजरा घाटा तलाई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर।
15. श्री कालू पिता हीरा मीणा, निवासी वीरपुरा, मजरा घाटा तलाई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर।
16. श्री अमरा पिता लाला मीणा, निवासी वीरपुरा, मजरा घाटा तलाई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर।

17. श्री अमरा पिता दला मीणा, निवासी वीरपुरा, मजरा घाटा तलाई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री वालतराम पिता देवजी पटेल, निवासी सिपुर, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर।
2. श्री खेमराज पिता तेजी पटेल, निवासी वीरपुरा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर।
3. श्री पेमा पिता दला पटेल, निवासी सल्लाडा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर।
4. श्री जीवराज पिता प्रेमजी पटेल, निवासी सल्लाडा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर।
5. श्री कैलाश कुमार पिता विजय प्रसाद औदिच्य, निवासी वीरपुरा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सराडा, जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री रमेश नन्दवाना, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. श्री आलोक जैन, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5
3. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार सराडा, जिला उदयपुर
नामान्तरकरण संख्या 512 दिनांक 27.12.2018

* निर्णय *

दिनांक– 18-03-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार सराडा, जिला उदयपुर नामान्तरकरण संख्या 512 दिनांक 27.12.2018 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वीरपुरा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर में आराजी संख्या 1820 रकबा 3 हेक्टेयर भूमि स्थित है। इस भूमि पर अपीलान्ट्स का कब्जा आजादी से पूर्व चला आ रहा है। अपीलान्ट्स आदिवासी परिवार के होकर निरक्षर है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में श्री डाया के नाम पर अंकित हो गयी, तद्उपरान्त श्री कालूलाल डांगी के खाते में दर्ज हो गयी। श्री कालूलाल डांगी द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध न्यायालय उप जिला कलक्टर, सराडा में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर दिया जो वर्तमान में विचाराधीन है। इसी दरमियान श्री कालूलाल पिता डाया डांगी द्वारा भूमि का अपनी खातेदारी में होने का फायदा उठाते हुये कथित भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पक्ष में दिनांक 20.07.2018 को भूमि का बेचान कर दिया, जिसकी जानकारी होने पर अपीलान्ट्स द्वारा तहसीलदार सराडा, ग्राम पंचायत एवं जिला कलक्टर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये एवं भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज न किये जाने हेतु अनुरोध किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा ग्राम पंचायत वीरपुरा के समक्ष पटवारी के माध्यम से

दिनांक 05.10.2018 को नामान्तरकरण हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गयी, जिस पर ग्राम पंचायत वीरपुरा के कोरम में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि भूमि पर अपीलान्ट्स का पुराना कब्जा है एवं वाद न्यायालय उप जिला कलक्टर, सराडा में विचाराधीन है। दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया जावे। उपरोक्त परिस्थितियों के विद्यमान होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय, तहसीलदार सराडा द्वारा दिनांक 27.12.2018 को उक्त नामान्तरकरण संख्या 512 स्वीकृत कर दिया गया। ग्राम वीरपुरा अनुसूचित क्षेत्र में आता है जिस पर पंचायतीराज एक्सटेशन टू शिड्यूल्ड एरिया एक्ट लागू होता है, जिससे भूमि सम्बन्धित विवादों के निर्णय का अधिकार ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सराडा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 512 के सम्बन्ध में पारित निर्णय दिनांक 27.12.2018 अपास्त किया जावे।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से श्री आलोक जैन द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत किया गया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गयी। मामले में अधिनस्थ न्यायालय से नामान्तरकरण संख्या 512 से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर मामले में बहस हेतु तिथि नियम की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा अपने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये मामले में विवादित भूमि पर अपीलान्ट्स का कब्जा होना, नामान्तरकरण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत एवं न्यायालय उप जिला कलक्टर, सराडा में वाद विचाराधीन रहते हुये तहसीलदार सराडा द्वारा नामान्तरकरण पारित करना, नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होना आदि आधारों पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पक्ष में तहसीलदार खोले गये नामान्तरकरण संख्या 512 को निरस्त करने की मांग की।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुये अनुरोध किया कि नामान्तरकरण संख्या 512 रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के नाम खोला गया है। मात्र कब्जे के आधार पर किसी भी नामान्तरकरण को निरस्त नही किया जा सकता है। ग्राम पंचायत को 45 दिवस में ही नामान्तरकरण दर्ज करने का अधिकार है। निर्धारित समयावधि में ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण दर्ज न करने पर 45 दिवस के उपरान्त तहसीलदार को ही अधिकार प्राप्त है। तहसीलदार द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण खोला गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के विक्रय पत्र को निरस्त कराये बिना नामान्तरकरण निरस्त नही हो सकता है। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट्स को सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा करना चाहिये। इस प्रकार अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज की जावे एवं तहसीलदार सराडा द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 512 यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले में विवाद मौजा

वीरपुरा तहसील सराडा की आराजी संख्या 1820 के सम्बन्ध में तहसीलदार सराडा द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 512 का है। अपीलान्ट्स द्वारा विवादित आराजी पर स्वयं का कब्जा होने से नामान्तरकरण संख्या 512 को निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध किया है। नामान्तरकरण संख्या 512 दिनांक 27.012.2018 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा वीरपुरा की आराजी संख्या 1820 रकबा 3 हेक्टेयर भूमि श्री कालू पिता डाया डांगी के नाम खातेदार के रूप में दर्ज थी, जिसका दिनांक 20.07.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पक्ष में बेचान हुआ है। कोरम रजिस्टर की प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन प्राप्त होने पर मौके पर अपीलान्ट्स का कब्जा होने एवं न्यायालय उप जिला कलक्टर सराडा मे वाद विचाराधीन होने के आधार पर आगामी बैठक में उभय पक्ष को उपस्थित होने का नोटिस जारी किये जाने का उल्लेख किया गया है, किन्तु मामले में यह स्पष्ट है कि निर्धारित अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण पारित न करने से तहसीलदार द्वारा 45 दिवस की अवधि पूर्ण हो जाने से दिनांक 27.12.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश पारित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि तहसीलदार सराडा द्वारा नामान्तरकरण रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर खोला गया है एवं मात्र अपीलान्ट्स के कब्जे के आधार पर नामान्तरकरण को निरस्त नही किया जा सकता है। तहसीलदार सराडा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पक्ष में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 512 में कोई त्रुटि प्रथम दृष्टया परिलक्षित नही होती है। ऐसी स्थिति में समग्र तथ्यों पर विवेचन उपरान्त तहसीलदार सराडा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पक्ष में पारित नामान्तरकरण संख्या 512 दिनांक 27.12.2018 यथावत रखे जाने योग्य पाया जाता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है एवं तहसीलदार सराडा द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 512 दिनांक 27.12.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.03.20 10:28:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: